

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली

पत्रांक: मु०चि०अ०/ तम्बाकू नि० प्रकोष्ठ / 2019-20 / 4642

दिनांक 23.03.2020

समस्त कार्यालय अध्यक्ष
बरेली।

विषय:- जनपद में करोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०० लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019-20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18.03.2020 द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर-उधर थूकने से (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी.ओ.टी.पी.ए.-2003 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान मसाला खाकर यत्र-तत्र धूकने पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी

बरेली।

तददिनांक

पत्रांक: मु०चि०अ०/ तम्बाकू नि० प्रकोष्ठ / 2019-20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०० लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ०प्र००, लखनऊ को सादव सूचनार्थ प्रेषित।
3. मंडलायुक्त महोदय, बरेली मंडल, बरेली।
4. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी

बरेली।